

Order No:- 78L/2020-21



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 13.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Smt. Jyotsna Charandas Mahant के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 86 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	कृतिका मिश्रा	राजकुमार मिश्रा, मो- 9425223161	1	न. 3 कुसमुडा कोरबा
2	मानवी शर्मा	श्वेता शर्मा, मो- 8770666879, 9399640343	6	न. 4 एनटीपीसी दर्री कोरबा (छत्तीसगढ़)
3	श्रेया सिन्हा	आनंद चंद्रा, मो- 7974446107	9	झगराखाण्ड कोरिया
4	चैतन्य कंगण	INADMISSIBLE BECAUSE KV IS NOT IN THE CONSTITUENCY OF THE HON'BLE MP		
5	अदिती सोनी	राम सेवक सोनी, मो- 9926558730	7	बैकुंठपुर कोरिया
6	यथार्थ यादव	सोमेन्द्र यादव, मो- 7999671833	1	न. 2 एनटीपीसी कोरबा
7	संजना	सुदर्शन सिंग , मो- 9399091577	1	चिरमिरी, कोरिया (छत्तीसगढ़)
8	अशरिता राल	कर्तोवासो, मो- 9893134319	1	चिरमिरी, कोरिया (छत्तीसगढ़)
9	प्रजा कौशिक	अमित कौशिक, मो- 9893509046	1	न. 4 एनटीपीसी गोपालपुर कोरबा
10	रितिकेश यादव	राकेश कुमार यादव, मो- 8085754248	3	झगराखाण्ड

पिया ठाकुर

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Smt. Jyotsna Charandas Mahant माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, RAIPUR संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)